बिहार सरकार

अर्थ एव सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/आ०2–11/2015 316 पटना, दिनांकः 19.09.18

कार्यालय आदेश

श्री सुजीत कुमार सोनू, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, राजपुर–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, संझौली, रोहतास संप्रति प्रखंड साख्यिकी पर्यवेक्षक, पकरीबरावाँ प्रखड, नवादा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्राक–40(मु०)/आ०, दिनाक 22 04.2015 द्वारा समर्पित आरोप प्रपत्र के आलोक मे निदेशालय के का०आ०सं०–123 सहपठित ज्ञापांक–740 दिनाक–16.6.2015 द्वारा श्री सुजीत कुमार सोनू पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमवाली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), रोहतास को संचालन पदाधिकारी तथा जिला साख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2 अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच)–सह–संचालन पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पत्रांक–12 (मु०)/वि०जाँ०, दिनांक–14 07.2017 द्वारा श्री सुजीत कुमार सोनू के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में सचालन पदाधिकारी ने श्री सोनू द्वारा अपने बचाव में दाखिल किये गये स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकनोपरांत निष्कर्ष दिया है कि " जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम का आदेश ज्ञापांक–688/आ०, दिनांक–27.04.2012 के द्वारा श्री सुजीत कुमार सोनू को रब्बी विप्पणन मौसम 2012–13 में क्रय केन्द्र संझौली पर क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप मे प्रतिनियुक्त किया गया था। जिला प्रबधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास से प्राप्त दिनांक–12.04.2015 के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त क्रय केन्द्र पर आपके द्वारा 27238.50 क्विंटल गेहूँ भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध कराया गया तथा शेष 1141.65 क्विटल गेहूँ भारतीय खाद्य निगम से अस्वीकृत कर दिये जाने के फलस्वरूप उक्त क्रय केन्द्र के गोदाम में भडारित था।

विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में भारतीय खाद्य निगम से अस्वीकृत गेहूँ की निलामी की गई। निलामी के पश्चात निलामीकर्त्ता को उक्त गोदाम में अवशेष गेहूँ के उठाव के लिए एस०आई०ओ० निर्गत किया गया, जिसके विरूद्ध निलामीकर्त्ता द्वारा 311.60 क्विंटल गेहूँ का उठाव किया गया। शेष 830.05 क्विंटल गेहूँ उक्त क्रय केन्द्र पर उपलब्ध नहीं रहने के कारण निलामीकर्त्ता द्वारा उठाव नही हो सका।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा 311.60 क्विटल गेहूँ मानक के अनुरूप क्रय नहीं किया गया, जिससे एफ०सी०आई० द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया तथा 830.05 क्विंटल गेहूँ को गायब कर दिया गया।

इस संबंध में श्री सोनू से जिला पदाधिकारी, रोहतास के ज्ञापांक 865/आ० दिनांक–15.04.2015 से स्पष्टीकरण की मॉग की गई थी, परन्तु इनके द्वारा स्पष्टीकरण का जबाव नहीं दिया गया । इनके द्वारा उच्चाधिकरी के आदेश की अवहेलना की गई है। क्रय केन्द्र प्रभारी होने के नाते अधिप्राप्त अवशेष गेहूँ की

" नन्ही सी जान की पहली पहचान, उपहार में दे जन्म का प्रमाण "

सुरक्षा के लिए इनकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी थी, परन्तु इन्होंने इसका निर्वहन नही किया। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इन्होने जानबूझकर निजी लाभ के लिए 311.60 क्विंटल गेहूँ निम्न गुणवत्ता का क्रय किया जिसकी निलामी करने में विभाग को प्रति क्विंटल 83.04 रू० की दर से 25875.26 रू० की क्षति हुई तथा अवशेष 830.05 क्विंटल गेहूँ जिसका मूल्य प्रति क्विटल 1426.04/– रूपये की दर से 1183684.50 (ग्यारह लाख तिरासी हजार छ. सौ चौरासी रूपया पचास पैसे) होता है, की बिक्री कर दी गई या गायब कर दिया गया, जिसके गबन का मामला बनता है।

इस प्रकार श्री सुजीत कुमार सोनू, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, राजपुर प्रखंड–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी संझौली पर प्रपत्र'क' मे लगाया गया आरोप सत्य प्रमाणित होता है।"

3. बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 में किये गये प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी के आरोप प्रमाणित पाये जाने के प्रतिवेदन पर श्री सुजीत कुमार सोनू से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। अपने अभ्यावेदन में श्री सुजीत कुमार सोनू ने यह उल्लेख किया है कि

(I) वरीय प्रभारी पदाधिकारी के आदेशानुसार अंचल अधिकारी, संझौली के द्वारा भी स्टॉक जाँच में भी भंडारित गेहूँ की मात्रा 853 बोरी यानि 426.50 क्विंटल पायी गयी थी। विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में शेष भंडारित गेहूँ की निलामी के लिए दिनांक–07.02 2014 को 426.50 क्विंटल गेहूँ का ही एस०आई०ओ० निर्गत किया गया था। निलामीकर्त्ता द्वारा गेहूँ का उठाव धर्मकाँटा से किया गया तथा बोरी के वजन मे ह्रास के कारण 853 बोरी में 426.50 क्विटल के बदले 311.60 क्विंटल गेहूँ ही प्राप्त हो सका।

(II) गेहूँ का उठाव ससमय नहीं कराये जाने के कारण ही शेष गेहूँ किरी–कीडे तथा खपड़ा नामक कीडे का बडी मात्रा में लग जाने के कारण गेहूँ की गुणवत्ता एवं वजन में काफी ह्रास हुआ था । अतंतः क्रय केन्द्र, संझौली में गेहूँ की मात्रा में कमी एवं ह्रास का मुख्य कारण ससमय उठाव नहीं कराया जाना है तथा उनके द्वारा किसी भी प्रकार से गेहूँ का गबन नहीं किया गया।

इस प्रकार उनके द्वारा उन्ही तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो इन्होंने संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपने स्पष्टीकरण में दिया था, जिसके समीक्षोपरात संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

4. अपने अभ्यावेदन में श्री सुजीत कुमार सोनू द्वारा वर्णित यह तथ्य कि निलामीकर्त्ता द्वारा गेहूँ का उठाव धर्मकॉटा से किया गया तथा बोरी के वजन मे ह्रास के कारण 853 बोरी में 426.50 क्विटल के बदले 311.60 क्विटल गेहूँ ही प्राप्त हो सका एवं गेहूँ का उठाव ससमय नहीं कराये जाने के कारण ही शेष गेहूँ किरी–कीडे तथा खपडा नाम कीडे का बडी मात्रा में लग जाने के कारण गेहूँ की गुणवत्ता एवं वजन में काफी ह्रास हुआ, को सतोषजनक उत्तर नहीं माना जा सकता है। इन्होंने अपने जिम्मेवारी का सम्यक रूप से निर्वहन नही किया जिसके चलते सरकार को आर्थिक क्षति हुई । अतएव इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

5 उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्टं होता है कि श्री सुजीत कुमार सोनू के द्वारा जानबूझकर निजी लाभ के लिए 311.60 क्विंटल गेहूँ निम्न गुणवत्ता का क्रय किया गया जिसकी निलामी में विभाग को प्रति क्विटल 83.04 रूपये की दर से 25875 26 (पच्चीस हजार आठ सौ पचहत्तर रूपये छब्बीस पैसे) रूपये की क्षति हुई तथा अवशेष

830 05 क्विंटल गेहूँ जिसका मूल्य प्रति क्विंटल 1426.04 रूपये की दर से 1183684.50 (ग्यारह लाख तिरासी हजार छ. सौ चौरासी रूपया पचास पैसे) रूपये होता है, की बिक्री कर दी गई या गायबकर दिया गया । इस प्रकार सभी कुल 1209559.76 रूपये (बारह लाख नौ हजार पॉच सौ उनसठ रूपये छिहत्तर पैसे) का सरकारी राजस्व की क्षति/गबन करने का आरोप इनपर प्रमाणित होता है। यह राशि श्री सुजीत कुमार सोनू, प्रखंड साख्यिकी पर्यवेक्षक से वसूलनीय भी है जिसकी वसूली हेतु सबंधित विभाग यथा– खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंधित पदाधिकारी समुचित कार्रवाई जिला पदाधिकारी, रोहतास से समन्वय स्थापित कर करेंगे।

6. उक्त वर्णित प्रमाणित आरोपों के लिए सचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सुजीत कुमार सोनू पर संचयी प्रभाव के साथ तीन वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

7. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सुजीत कुमार सोनू, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, राजपुर–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, संझौली, रोहतास सप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, पकरीबरावाँ प्रखड, नवादा पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 मे किये गये प्रावधानों के तहत सचयी प्रभाव के साथ तीन वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/आ०2–11/2015 1914 पटना, दिनांक : 19.09.18

प्रतिलिपि :–सचिव के आप्त सचिव,योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, रोहतास को उनके पत्रांक 40(मु०)/आ० दिनांक–22.04.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3 जिला पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास/नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला साख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास/नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6 प्रखंड विकास पदाधिकारी, पकरीबरावॉ, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. श्री सुक्षमा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री सुजीत कुमार सोनू, तत्कालीन प्रखड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, राजपुर–सह– क्रय केन्द्र प्रभारी, संझौली, रोहतास संप्रति प्रखंड साख्यिकी पर्यवेक्षक, पकरीबरावॉ प्रखंड, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/9

निदेशक